Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to include provision of Direct Benefit Transfer of cashless school vouchers in the National Education Policy.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): संविधान की धारा 21-ए प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार देती हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि शिक्षा ही गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है तथा इसके लिए सरकार सार्थक प्रयास भी कर रही है। परन्तु, अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी करीब 4.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।

मेरी जानकारी के अनुसार देश के सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा बना रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा के स्तर को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 को समाप्त करें व सभी बच्चों को पारदर्शिता के साथ गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के बजाए माता-पिता को डीबीटी द्वारा सीधे आधार से लिंक करके कैशलेस स्कूल वाउचर उपलब्ध कराये जाएं।